

हीवेट पॉलीटेक्निक, महानगर, लखनऊ

दिनांक: 05.07.2025

संस्था में प्रथम/द्वितीय वर्ष (लेटरल एन्ट्री) में प्रवेश संबंधी सूचना सत्र 2025-26


- संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० की UPJEE (Polytechnic)-2025 द्वारा वर्तमान में प्रचलित विभिन्न चरणों की काउन्सिलिंग के पश्चात संस्था में प्रवेश पाये A Group व K Group के छात्र-छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया दिनांक **09.07.2025** से प्रारम्भ होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक संस्था में पूर्ण शुल्क जमा कर प्रवेश लेना अनिवार्य है अन्यथा छात्र/छात्रा का एलॉटमेंट निरस्त हो जायेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की होगी।
चतुर्थ तथा इसके बाद के चरणों के छात्र-छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० के निर्देशानुसार संपन्न की जायेगी।
- प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिये निम्नलिखित अभिलेख मूल रूप में एवं उनकी 02 सेट स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति लाना आवश्यक है:-
 - संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2025 काउन्सिलिंग का प्रोविजनल एलॉटमेंट लेटर
 - संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० को ऑनलाइन जमा की गयी फीस का प्रमाण
 - अभ्यर्थी की अर्हकारी योग्यता हेतु-
हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र
/इन्टरमीडियेट अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र
/अन्य (आई०टी०आई०/स्नातक आदि)
 - अंतिम अध्ययनरत संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र
 - अंतिम अध्ययनरत संस्था द्वारा प्रदत्त स्थानांतरण/माइग्रेशन की प्रथम मूल प्रति (लखनऊ जिले से बाहर के स्थानांतरण/माइग्रेशन प्रमाण-पत्र पर संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।)
 - अंतिम संस्था में अध्ययन के पश्चात यदि गैप हो तो उस अवधि का नोटरी शपथ-पत्र
 - आरक्षण वर्ग/उपवर्ग का प्रमाण-पत्र (संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा निर्धारित प्रारूप पर)
 - पिता/माता/अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र
 - रंगीन नवीनतम फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज)-04
 - सक्षम चिकित्सक (MBBS) द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र
 - 25 से.मी. X 11 से.मी. के दो प्लेन लिफाफे
 - ₹ 54/- मात्र के डाक टिकट
- प्रवेश हेतु अर्ह प्रथम वर्ष (A Group) व लेटरल एन्ट्री (K Group) के छात्र/छात्राओं को संस्था को देय कुल शुल्क व संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा लिये जा चुके शुल्क का अन्तर संस्था में जमा करना होगा जो कि कैश के रूप में जमा किया जायेगा। संस्था को देय कुल शुल्क का विवरण निम्नवत है:-

क्रं. सं.	ब्रान्च का नाम	पाठ्यक्रम का प्रकार	वर्ष	ग्रुप	संस्था को देय कुल शुल्क
1.	सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल	नियमित	प्रथम	A	₹ 19,300.00
2.	सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल	नियमित	द्वितीय	K	₹ 19,300.00
3.	इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी	स्ववित्तपोषित	प्रथम	A	₹ 25,870.00
4.	इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी	स्ववित्तपोषित	द्वितीय	K	₹ 25,870.00





4. उक्त शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र/छात्रा को ₹ 96/- मात्र (दुर्घटना बीमा हेतु) भी संस्था में जमा करना होगा।
 5. प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने माता/पिता/अभिभावक के साथ ही प्रवेश हेतु संस्था में उपस्थित होगा। अनाधिकृत अभिभावक के साथ छात्र/छात्रा को प्रवेश देय नहीं होगा। वैध अभिभावक उन्हीं को माना जायेगा जिसे जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो। रिश्ते के किसी व्यक्ति को अभिभावक नहीं माना जायेगा।
 6. प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कोई भी छात्र/छात्रा संस्था में/संस्था के बाहर बिना किसी कारण के इधर-उधर न घूमें तथा माता-पिता/अभिभावक छात्र/छात्रा को संस्था से बाहर अकेले न भेजें।
 7. प्रथम वर्ष (A Group) की कक्षाएँ दिनांक 01.08.2025 से तथा द्वितीय वर्ष की कक्षाएँ दिनांक 15.07.2025 से संचालित होंगी।
 8. संस्था में प्रथम/द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
 9. भविष्य में संस्था से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिये संस्था वेबसाइट www.hewettpolytechnic.org का नियमित अवलोकन करते रहें।
 10. किसी भी प्रकार की संस्था से संबंधित जानकारी हेतु फोन नम्बर 0522-2975097 पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे के मध्य संपर्क कर सकते हैं तथा उक्त अवधि के अतिरिक्त कॉल अटेन्ड नहीं किया जायेगा।
 11. काउन्सलिंग से सम्बन्धित निर्देशों के लिये संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० की वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in का अवलोकन करें तथा हेल्पलाइन नम्बर 0522-2630667, 2630106, 2636589 अथवा हेल्प ई-मेल jeecuphelp@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।
- ❖ **नोट:** यह संस्था राज्य सरकार से सहायता प्राप्त संस्था है। सभी प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही किये जाते हैं। सीधे प्रवेश अथवा मैनेजमेन्ट कोटा का कोई प्राविधान नहीं है। सीधे प्रवेश हेतु कृपया सम्पर्क न करें।


 05-7-25
 (कुन्दन सिंह)
 प्रधानाचार्य
 05-7-25

-: रैगिंग दण्डनीय अपराध है एवं रैगिंग में लिप्त होने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। :-